

आदेश नं. 21/12/2020
दिनांक 21/12/2020 को पेश की, 20

21/12/20

पत्रावली पेश हुई। वादीनी वकील अनु०।
न्यायालय समक्ष में वादीनी व वादीनी वकील को
रक 2 बार तीन बार भावना लगायी गई।
न तो वादीनी उप०। न ही वादीनी वकील उप०।
अतः पत्रावली भवम पैरवी भवम काजरी में खारीज
की जाती है। पत्रावली कौशल शुभ्राट कोबर
कारगिल दफ्तर को। अरंघा मे वत को।